का पेश हो।

16/8 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु०। प्रार्थी भी हाजिर नहीं है। वकील प्रार्थी को बहुत-2 कार आवाजे लगाई गयी हाजिर नहीं है। लिहाजा प्रार्थी वकील प्रार्थी की सख्त हाजरी-आम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार हो। न्यायालय द्वारा जारी T.I. दिनांक 29.5-2018 को भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल संलग्न रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.08 17:28:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner